न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 142/2017

1. बनवारी लाल पुत्र मिश्रीलाल महाजन जाति महाजन निवासी मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा।

.. अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा।
2. नायब तहसीलदार मण्डावर उप तहसील मंडावर महसील महवा जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार मंडावर दिनांक 06.10.2017 दफा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956।

उपस्थित : 1. श्री दिनेश शाण्डिल्य, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक: 22.05.2024

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार मंडावर जिला दौसा ने दिनाक 06.10.2017 को ग्राम मंडावर 1614/1921 रकबा 37.509 वर्गफीट पी.डब्ल्यू. डी. की भूमि पर अपीलांट को अतिकमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ नायब तहसीलदार मंडावर के यहां पेश की कि संवत 2074 फसल खरीफ में अपीलान्ट द्वारा पी.डब्ल्यू. डी. की भूमि खसरा नंबर 1614/1921 रकबा 37.509 वर्गफीट अतिकमण पर पक्का निर्माण कर अतिकमण कर लिया। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया। अपीलान्ट की उक्त प्रकरण में विधिवत रूप से तामिल हुए बगैर ही अधीनस्थ न्यायालय में एकतरफा में दिनांक 06.10.2017 को निर्णय पारित कर दिया व पैनल्टी व बेदखल के अवैध आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 22.11.2017 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई तो अपीलान्ट ने दिनांक 23.11.2017 को नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल दिनांक 27.11.2017 को प्राप्त हुई। इसलिए उक्त अवैध निर्णय के विरूद्ध अपील जानकारी से निम्न आधारों पर पेश है। :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:10:14 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

01. अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून, नियम उप नियम व पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त योग्य है।

02. अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामील भी नहीं हुई तथा बिना तामील हुए ही अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा में निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरीत है तथा पीड़ित पक्ष को कानूनन पूर्ण सुनवाई व सबूत व मौका दिया जाना न्यायहित में आवश्यक था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैधानिक व नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

03. अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया बल्कि अपनी पट्टाशुदा भूमि पर ही निर्माण किया है तथा इस संबंध मे पूर्व में भी रेवन्यू बोर्ड तक प्रकरण चले थे जिसमें पी.डब्ल्यू.डी की निगरानी खारिज की है। इसी प्रकार अपीलान्ट द्वारा अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश की न्यायालय में एक वाद क्षतिपूर्ति पेश किया गया था जिसका भी विधिवत रूप से दिनांक 20.09.90 को विस्तृत रूप से सुनवाई कर वादी अपीलान्ट का वाद डिक्री किया गया था जिसमें 26,000/– रूपये नुकसान की डिक्री पारित की गई थी तथा इसके अलावा कई अन्य प्रकरणो में भी पी.डब्ल्यू.डी. के विरूद्ध अपीलान्ट के हक में पारित किये जो चुके है। इन तमाम तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर न तो अतिक्रमण किया न निर्माण किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04. अधीनस्थ न्यायालय ने रिपोर्ट कुनिन्दा पटवारी हल्का तक के भी बयान दर्ज नहीं किये और न ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्शित हुई है। ऐसी सूरत में उक्त अवैधानिक रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया जाना कतई अवैधानिक व गैर कानूनी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गैर कानूनी होने के काण निरस्त किये जाने योग्य है।

05. अपीलान्ट के विरूद्ध किये गये निर्णय में कही पर भी किसी भी प्रकार की माप का अंकन नहीं किया गया है तथा माप दर्शित नहीं होने के कारण किसी भी तथ्य से मेल नहीं खाती है। अपीलान्ट को नोटिस नहीं दिया गया तथा फैसले में भी पूर्व नोटिस दिये जाने का हवाला नहीं है। दिनांक 06.10.2017 के अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कही पर भी मुकदमा नंबर एवं उनवान अंकित नहीं किया गया है जो कि अधीनस्थ न्यायालय को विधि एवं न्याय अनुरूप लिखा जाना आवश्यक था।

06. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर विचार किये ही निर्णय पारित किया है जो अवैधानिक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

07. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में न तो कोई मुकदमा नंबर ही दर्ज है और न ही मुकदमें का उनवान ही दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सारी कार्यवाही अवैधानिक रूप से की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैधानिक व गैर कानूनी होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

08. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को न तो कोई जवाब व सूबत पेश करने का मौका ही दिया बल्कि बिना तामिल हुए ही एकतरफा में निर्णय पारित किया है जो कतई अवैधानिक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

09. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया कि किस तरफ का निर्माण किया हुआ है तथा अपीलान्ट क[illegible] समय से काबिज चला आ रहा है। ऐसी सूरत में अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का मौका दिया जाना कानूनन आवश्यक है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नायब तहसीलदार मंडावर का निर्णय दिनांक 06.10.2017 निरस्त फरमाते हुए पत्रावली [illegible] निर्देश के साथ रिमाण्ड फरमाई जावे कि अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका देकर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:40:41 IST
Reason: SelfAttested

Devendra

जिला कलेक्टर, दौसा

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त मण्डावर से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

5. अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

6. पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक से कराई गई जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौरपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलांट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ हैं। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अतिक्रमी द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. की भूमि खसरा नंबर 1614/1921 रकबा 37.50 वर्गमीटर भूमि पर अतिचार किया जाना प्रमाणित है। पत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा जारी पट्टा सं. 11 मिसल नंबर 35 जो कि दिनांक 8.4.1988 को अपीलांट के पक्ष में जारी किया गया है का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा जारी पट्टे में कोई खसरा नंबर का अंकन नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि अपीलांट को प्रश्नगत भूमि का ही पट्टा जारी किया गया है। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश करौली, माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, राज0 अजमेर, के निर्णयों का भी अवलोकन किया गया। उप तहसीलदार मण्डावर ने अपीलांट के प्रकरण को नियमन योग्य नहीं माना जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। उप तहसीलदार मंडावर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22 मई, 2024 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:40:41 IST
Reason: SelfAttested

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा